रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 36] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2010/माघ 9, 1931
No. 36] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2010/MAGHA 9, 1931

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2010

दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (संशोधन) विनियम, 2010 (2010 का 1)

सं. 116-1/2010-एमएन.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i), (iii) और (v) के साथ पठित धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (संशोधन) विनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) के विनियम 1 के उप-विनियम (2) में खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ख) इन विनियमों के विनियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 31 मार्च, 2010 को प्रवृत्त होंगे।"

आर. के. आर्नल्ड, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./142/09]

टिप्पणी 1 : प्रधान विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में अधिसूचना सं. 116-4/2009-एमएन (खण्ड II) दिनांक 23 सितम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

टिप्पणी 2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (संशोधन) विनियम, 2010 (2010 का 01) के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में दिनांक 23 सितम्बर, 2009 को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) जारी किए थे जिनमें देश में मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के क्रियान्वयन के लिए बुनियादी संव्यवहार प्रक्रिया ढांचा निर्धारित किया गया था। इन विनियमों के विनियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 से क्रियान्वित किए जाने अपेक्षित थे।

2. विभिन्न सेवा प्रदाताओं की वर्तमान तैयारियों तथा अंतर्निहित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इन विनियमों के क्रियान्वयन के लिए समय को, सभी सर्किलों के लिए 31 दिसम्बर, 2009 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2010 करने का निर्णय लिया है ।

3. अत: दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 के विनियम 1 के उप-विनियम (2) के खण्ड (ख) को संशोधित किया गया है ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2010

Telecommunication Mobile Number Portability (Amendment) Regulations, 2010 (1 of 2010)

No. 116-1/2010-MN.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 36, read with sub-clauses (i), (iii) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India

Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009) namely :—

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication Mobile Number, Portability (Amendment) Regulations, 2010.

(2) In sub-regulation (2) of regulation 1 of the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) Regulations 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 of these regulations shall come into force on the 31st March, 2010."

R. K. ARNOLD, Secy.

[ADVT III/4/Exty./142/09]

Note 1 : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification No. 116-4/2009-MN (Vol. II) dated 23rd September, 2009.

Note 2 : The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication Mobile Number Portability (Amendment) Regulations, 2010 (1 of 2010).

Explanatory Memorandum

The Telecom Regulatory, Authority of India issued the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009) dated 23rd September, 2009 laying down the basic business process framework for implementation of mobile number portability in the country, Regulations 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 of these regulations were required to be implemented on 31st December, 2009.

2. Considering the present preparedness of various service providers and the process involved, the Government has decided to extend the time for implementation of these regulations from 31st December, 2009 to 31st March, 2010, for all circles.

3. Therefore, Clause (b) of sub-regulation (2) of Regulation 1 of the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 has been amended.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.